

निविदा की निर्धारित शर्तें—

1. निविदा संस्थान/कार्यालय द्वारा जारी निविदा प्रपत्र पर ही स्वीकार होगा। निविदा सूचना के दो भाग होंगे—(प्रथम) टेक्निकल विड या औपचारिकता की शर्तें (द्वितीय) फाइनेंशियल विड या दरो का विवरण। टेक्निकल विड के उपयुक्त पाये जाने पर ही फाइनेंशियल विड खोला जायेगा।
2. निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की दुलाई हेतु लगायी गयी ट्रकों/वाहनो का नम्बर तथा आर0सी0 की छाया प्रति कार्यालय में देना होगा। ट्रको/वाहनो पर तिरपाल की व्यवस्था स्वयं ठेकेदार को करनी होगी। पुस्तकों को सुरक्षित रूप से भण्डारित स्थान से बी0आर0सी0/ यू0आर0सी0/ विद्यालय स्तर तक पहुंचाने का पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार को होगा।
3. निविदादाता फर्म/वाहन स्वामी को धरोहर राशि रू0 25000/- का बैंक ड्राफ्ट जो "सर्व शिक्षा अभियान, सुलतानपुर" के पक्ष में देय हो निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा निविदा स्वीकृत होने पर रू0 100/- के स्टाम्प पर अनुबन्ध करना होगा।
4. भण्डारित स्थान से ट्रकों/वाहनो में लोडिंग तथा बी0आर0सी0/यू0आर0सी0 भवन पर अनलोडिंग, चढटा लगाने तथा विद्यालय स्तर तक पहुंचाने का कार्य ठेकेदार को स्वयं अपने श्रमिकों से कराना होगा, जिसका लेबर चार्ज ट्रक/वाहन भाडे में ही सम्मिलित होगा। पुस्तकों की दुलाई एवं लदाई इत्यादि कार्यों से सम्बन्धित ट्रको/वाहनो तथा ट्रक/वाहन पर कार्यरत स्टाफ लोडिंग एवं अनलोडिंग इत्यादि कार्यों हेतु लगाये गये श्रमिकों के दुर्घटनाग्रस्त एवं दुलाई के दौरान किसी कारण से पुस्तकों के क्षतिग्रस्त होने की घटना में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
5. परिवहन, श्रम विभाग तथा अन्य विभाग द्वारा प्रतिपादित नियमों तथा आदेशों/ निर्देशों का अनुपालन ठेकेदार को स्वयं करना होगा। उल्लंघन की दशा में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
6. उपरोक्त कार्य ठेकेदार को अद्योहस्ताक्षरी तथा जिला परियोजना कार्यालय के सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी के निर्देशानुसार करना होगा तथा बिलो का भुगतान सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी के प्रमाणित किये जाने के पश्चात देय होगा। कार्य संतोषजनक न होने की दशा में देय धनराशि से क्षतिपूर्ति की धनराशि की कटौती की जायेगी।
7. नियमानुसार आयकर की कटौती की जायेगी।
8. ट्रकों/वाहनो की लोडिंग प्रातः से करके रात्रि तक बी0आर0सी0/यू0आर0सी0/विद्यालय स्थल तक अनलोडिंग करना आवश्यक होगा, किसी भी दशा में हाल्टिंग चार्ज देय नहीं होगा।
9. दोनो पक्षों के बीच किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की दशा में प्रकरण जिलाधिकारी महोदय सुलतानपुर को संदर्भित होगा। जो दोनो पक्षों को मान्य होगा। पदुपरान्त न्यायालय जाने की दशा में न्यायालय का क्षेत्राधिकार जनपद सुलतानपुर होगा।
10. बिना सील बन्द निविदा को निरस्त कर दिया जायेगा।
11. टेक्निकल विड एवं फाइनेंशियल विड दोनो अलग-अलग लिफाफे में सील बन्द कर लिफाफे के ऊपर टेक्निकल विड/फाइनेंशियल विड स्पष्ट अंकित करें, तथा दोनों लिफाफे में बन्द करते हुए जमा किया जाय।
12. निविदादाता फर्म की धरोहर राशि निविदा खुलने के उपरान्त निविदा स्वीकृत न होने की दशा में नियमानुसार वापस कर दिया जायेगा।
13. निर्धारित तिथि/ समय के बाद प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
14. आमंत्रित निविदा को बिना कारण बतायें निरस्त करने का पूर्ण अधिकार समिति को होगा।
15. टेण्डर के प्रत्येक पृष्ठ पर एवं निविदा से सम्बन्धित समस्त प्रमाण पत्रों पर निविदादाता का हस्ताक्षर होगा अनिवार्य है। कटिंग/ओवर राइटिंग पर पूर्ण हस्ताक्षर अंकित न होने की स्थिति में निविदा प्रथम स्तर पर ही निरस्त कर दिया जायेगा।
16. निविदा स्वीकृत होने के पूर्व या बाद किसी भी स्तर पर यह तथ्य दृष्टिगत होता है कि असत्य प्रमाणपत्र/ प्रपत्र लगाकर निविदा प्राप्त की गयी है तो निविदा तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुये धरोहर धनराशि/अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी तथा उसके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जायेगी।
17. बिल भुगतान के समय स्रोत पर नियमानुसार आयकर कटौती की जायेगी। निविदा में अंकित दर सभी करों को जोडते हुए प्रस्तुत किया जायेगा। अलग से कोई कर देय नहीं होगा। भुगतान एकाउण्ट पेयी चेक के माध्यम से ही किया जायेगा।
18. जमानत धनराशि अथवा वांछित प्रमाणपत्र/ प्रपत्र के अभाव में निविदा स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
19. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।
20. निविदा के सम्बन्ध में निविदा समिति द्वारा लिया गया निर्णय सर्वमान्य होगा।
21. किसी भी वाद-विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार जनपद न्यायालय सुलतानपुर होगा।

मैंने टेण्डर के नियम एवं शर्तों को भली-भांति समझ लिया है एवं पढ लिया है जो मुझे मान्य है तथा उसका पालन करूंगा।

निविदादाता का हस्ताक्षर

13/11/18
जिला बसिक शिक्षा अधिकारी
सुलतानपुर

जिला परियोजना कार्यालय: सर्व शिक्षा अभियान, सुलतानपुर।

जिला परियोजना कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के दुलाई/लदाई/उतराई हेतु निविदा प्रपत्र वर्ष 2017-18


निविदादाता फर्म का नाम व पता-
.
.

फाइनेन्सियल विड (वित्तीय/भाव-पत्र)

फर्म रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से कार्यालय में उपलब्ध होने की अन्तिम तिथि 24.06.2017
समय अपरान्ह 05.00 बजे तक मुहरबन्द लिफाफे में
निविदा खुलने की तिथि- 28.06.2017 को अपरान्ह 03.00 बजे
स्थान: सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय, सुलतानपुर।

क्र.	वाहन का प्रकार	प्रतिदिन बचत (24 घण्टे)	डीजल/मोबिल की दर	लेबर चार्ज लदाई/उतराई प्रति वाहन	योग (3,4,5)
1	2	3	4	5	6
1	ट्रक (9 टन क्षमता पास)				
2	आयसर 407				
3	टाटा 307				
4	टाटा मैजिक (हाफ डाला)				
5	विक्रम (हाफ डाला)				

दिनांक


जिला बालिक शिक्षा अधिकारी
सुलतानपुर।
निविदादाता का हस्ताक्षर एवं मुहर
नाम-
पता-

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी- सुलतानपुर।

पत्रांक: / 773-76 / 2017-18

दिनांक 14 जून 2017

सेवा में,


जिला विज्ञान एवं सूचना अधिकारी
सुलतानपुर।

महोदय,

जनपद सुलतानपुर में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों को जनपद स्तर पर भण्डारित स्थल से 14 विकास खण्डों में स्थित ब्लाक संसाधन केन्द्रों/ नगर संसाधन केन्द्रों तथा विद्यालय स्तर तक ट्रकों/ वाहनों से पहुंचाने हेतु जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 09.06.2017 के क्रम में अल्पकालीन निविदा सूचना दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की गयी है। निविदा प्रपत्र एवं सामान्य शर्तें जनपद के वेबसाइट www.sultanpur.nic.in पर अपलोड होना है।


अतः आपके पास उपरोक्तानुसार निविदा प्रपत्र एवं सामान्य शर्तें तथा पत्र को सी0डी0 में कापी कर पत्र के साथ संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि जनपद के वेबसाइट www.sultanpur.nic.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय



(कौस्तुभ कुमार सिंह)


जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

 सुलतानपुर।

पृ0सं0: पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. राज्य परियोजना निदेशक, उ0प्र0 राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, सुलतानपुर।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय सुलतानपुर।


जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सुलतानपुर।